बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

सख्या :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 20/2024. –..... डा॰ रामसेवक साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर के विरूद्ध कतिपय आरोपों यथा :– वरीय पदाधिकारी के द्वारा मांगी गयी स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश के अवहेलना के आरोपों के लिए आरोप–पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त आलोक में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरांत गठित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 132 नि॰गो॰, दिनांक 18.03.2015 द्वारा डा॰ साह के एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक लगाये जाने का दंड सरकार द्वारा अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दंडादेश के विरूद्ध डा॰ साह द्वारा दिनांक 08.07.2025 को पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा गठित आरोपों के संदर्भ में पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों के आलोक में निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत डा॰ साह के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए अधिरोपित दंडादेश से मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में डा० रामसेवक साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 132 नि॰गो॰, दिनांक 18.03.2015 द्वारा अधिरोपित दंडादेश से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 20/2024..... पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 20/2024..... पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 20/2024..... पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, बक्सर को उनके पत्रांक 01–2477/स्था०, दिनांक 17.12.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 20/2024– 467 दिनांक पटना–15, दिनांक– 19.11.25

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/डा॰ रामसेवक साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर/प्रशाखा पदाधिकारी, 1 एवं 2/विभागीय आई॰ टी॰ मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव।